

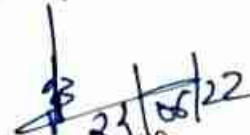


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

वाद संख्या :- 15/5/22/2022-23

नाम :- लाल सिंह बोयपाई,
पिता :- स्व० महाती बोयपाई,
मौजा :- बड़ा बड़दाडीह।

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति										
1	2	3										
22/6/22	आज दिनांक 22/6/22 को भूमि विवाद समाधान दिवस में आवेदक लालसिंह बोयपाई, पिता- स्व० महाती बोयपाई, ग्राम- बड़ा बड़दाडीह के द्वारा मौजा- बड़ा बड़दाडीह, थाना न०- खाता सं०- 92, प्लॉट सं०- 673, रकबा- 0.25 ए० जमीन में महेन्द्र बोयपाई पिता- स्व० दामु बोयपाई के द्वारा गलत तरीके से घर निर्माण करने के कारण उत्पन्न विवाद का सामाधान हेतु आवेदन प्राप्त है। उक्त के आलोक में ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। ग्रामीण मुण्डा, आवेदक एवं द्वितीय पक्ष को दिनांक- 29/06/2022 को उपस्थित होने के लिए सूचित करें। अभिलेख दिनांक- 29/06/2022 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी तांतनगर।											
25/6/22	अभिलेख उपस्थापित। ग्रामीण मुण्डा, आवेदक एवं द्वितीय पक्ष सभी उपस्थित हुए राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन भी प्राप्त है, जो बिन्दुवार इस प्रकार है :- 1. मौजा- बड़ा बड़दाडीह, थाना न०- 192, खाता सं०- 92 प्लॉट सं०- 673, रकबा- 0.25 ए० किस्म जमीन गोडा दो/1 खतियान में महाती हो पिता गाजिया बोंज हो एक अश तथा मुटरा हो पात रीता हो एक अश जाति 'हो' किली बोयापाई निवासी निजग्राम के नाम से दर्ज है। 2. मौजा- बड़ा बड़दाडीह, खाता सं०- 92 के प्लॉट 373 में द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई, पिता- स्व० दामु बोयपाई के द्वारा घर बनाये गया है। महेन्द्र बोयपाई के द्वारा बतलाया गया कि यह भूमि मेरे द्वारा खरीदी गई कागजात दलील संख्या- 3049 दिनांक- 28/12/2000 दी गई जिसमें विक्रेता लाल सिंह बोयपाई, पिता स्व० महाती बोयपाई एवं क्रेता प्रगणा श्री महेन्द्र बोयपाई पिता- स्व० दामु बोयपाई दर्ज है। जिसमें भूमि का विवरणी इस प्रकार है :- 3. द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई पिता स्व० दामु बोयपाई के द्वारा बिक्री रलील संख्या- 3049 दिनांक- 23/12/2000 के आधार पर अंचल कार्यालय तांतनगर से निर्गत शुद्धि पत्र भी दिखाई गई जो अंचल कार्यालय के नामांतरण वाद संख्या 150/2006-2007 के तहत नामांतरण की गई है जियमें भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :- 4.<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>मौजा</th><th>थाना न०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr></thead><tbody><tr><td>बड़ा बड़दाडीह</td><td>192</td><td>97</td><td>746</td><td>0.07 ए०</td></tr></tbody></table> द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई के द्वारा दिये गये भूमि निबंधन पत्र एवं शुद्धि पत्र जमा की गई। द्वितीय पक्ष के द्वारा जमा की गई कागजात के अवलोकन पश्चात् यह प्रतीत	मौजा	थाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	बड़ा बड़दाडीह	192	97	746	0.07 ए०	
मौजा	थाना न०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा								
बड़ा बड़दाडीह	192	97	746	0.07 ए०								

होता है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा उनके द्वारा खरीदी गई भूमि के अलावा कहीं अन्य जगह पर घर बना लिया गया।

अतः पुनः अंचल अमीन को निर्देश दें कि आवेदक द्वारा आवेदित प्लॉट सं०- 673, द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये कागजात में दर्ज प्लॉट 746 एवं द्वितीय पक्ष के जिस प्लॉट पर घर बनाया गया है, उस प्लॉट का स्थल में जाकर सर्वे नक्शा से मिलकर पहचान करते हुए अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदन दें।

अभिलेख दिनांक- 20/07/2022 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
तांतनगर।

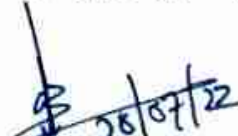
20/7/022

अभिलेख उपस्थापित।

अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अमीन द्वारा सर जमीन पर जाकर मौजा- बड़ा बड़दाडीह, थाना सं०- 192, प्लॉट सं०- 746 एवं खाता सं०- 92, प्लॉट सं०- 673 का सर्वे नक्शा से मिलान करते हुए पहचान किया गया जिसमें यह पाया गया कि द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई के द्वारा भूमि निबंधन संख्या- 3049 दिनांक- 28.12.2000 के द्वारा खाता सं०- 94, प्लॉट सं०- 746, किस्म जमीन गोडा दो, रकवा- 0.07 एकड़ भूमि की खरीद की गई है। जिसका चौहद्दी उत्तर - मथुरा हो, द०- रईसी कुई, पू०- विक्रेता निज एवं प०- रास्ता है। परन्तु द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई के द्वारा मौजा- बड़ा बड़दाडीह के खाता संख्या- 92, प्लॉट सं०- 673, किस्म जमीन गोडा दो कुल रकवा 0.25 एकड़ में से 0.12 एकड़ में घर बनाया गया है। जिसका चौहद्दी उ०- रास्ता, द०- 676, पू०- निज एवं प०- सड़क है। उक्त भूमि का द्वितीय पक्ष के पास कोई कागजात नहीं है।

अतः ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं दोनों पक्ष के द्वारा प्रस्तुत कागजात के आवलोकन के पश्चात् यह बात सामने आई है कि द्वितीय पक्ष महेन्द्र बोयपाई के द्वारा मौजा बड़ा बड़दाडीह के खाता सं०- 94, प्लॉट सं०- 746 में 0.07 एकड़ भूमि विक्रेता लाल सिंह बोयपाई से खरीदी है। परन्तु उनके द्वारा विक्रेता लाल सिंह बोयपाई के ही अन्य प्लॉट खाता सं०- 92 प्लॉट सं०- 673 में अपने खरीदी गई रकवा से ज्यादा रकवा 0.12 एकड़ में घर बना लिया गया है। जिसका कोई भी कागजात द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्लॉट सं० 673 में उनका दखल अवैध प्रतीत होता है।

अतः द्वितीय पक्ष श्री महेन्द्र बोयपाई, पिता स्व० दामु बोयपाई को प्लॉट सं०- 673 खाली करने हेतु आदेश निर्गत किया जाय।


अंचल अधिकारी
तांतनगर